संख्याः– /XVIII(II)/2014–01(66)/2012

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 20 फरवरी, 2014

विषयः–श्री कमल गोयल पुत्र स्व0 श्री सीताराम गोयल, निवासी 42, आवास विकास कॉलोनी, सिविल लाईन, बरेली एवं श्री अमित कुमार जैन पुत्र स्व0 श्री वी0के0 जैन, निवासी जैन भवन, मथुरा विहार, नवाबी रोड़, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल को ग्राम अजीतपुर, तहसील किच्छा, जिला ऊधमसिंहनगर में औद्योगिक प्रयोजन (बीयर प्लान्ट की स्थापना) हेतु कुल 0.961 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–1167/सात–स0भू0अ0/2013 दिनांक–19.07.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, श्री कमल गोयल पुत्र स्व0 श्री सीताराम गोयल, निवासी 42, आवास विकास कॉलोनी, सिविल लाईन, बरेली एवं श्री अमित कुमार जैन पुत्र स्व0 श्री वी0के0 जैन, निवासी जैन भवन, मथुरा विहार, नवाबी रोड़, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल को ग्राम अजीतपुर, तहसील किच्छा, जिला ऊधमसिंहनगर में औद्योगिक प्रयोजन (बीयर प्लान्ट की स्थापना) हेतु कुल 0.961 है0 भूमि क्रय की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा–154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत, सूक्ष्य लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति/सहमति के क्रम में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (बीयर प्लान्ट की स्थापना) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु

.....2

करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होगा।

3– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

5– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

6– इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग औद्योगिक प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा।

7– भूमि क्रय करने के उपरान्त निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्वान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुये निर्माण का प्लान सीड़ा/विनियमित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8– इकाई को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

9– इकाई राज्य सरकार/शासन से सम्बन्धित विभाग से प्रस्तावित औद्योगिक उत्पाद के विनिर्माण हेतु सभी आवश्यक अनुज्ञाएं/स्वीकृतियां स्वयं प्राप्त कर उद्योग की स्थापना करेगी।

10– आवेदक द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्यम में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

11– जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त/बन्धक मुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाय।

12– इकाई द्वारा अनुमति उपरान्त धारा–143 के अन्तर्गत कृषि भूमि को औद्योगिक प्रयोजन हेतु परिवर्तित करायेगी।

.....3

13– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगें।

14– किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

15– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

16– योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियॉ/स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेगी।

17– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तो के अनुपालन स्थिति से भी ससमय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0सं0– 250 /समदिनांकित/2014

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
4– श्री कमल गोयल, निवासी 42, आवास विकास कॉलोनी, सिविल लाईन बरेली।
5– श्री अमित कुमार जैन पुत्र स्व0 श्री वी0के0 जैन, निवासी जैन भवन, मथुरा विहार, नवाबी रोड़, हल्द्वानी जनपद नैनीताल।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।